आरबीई सं. 04/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डब्ल्यू) 2007/सीपी-1/37

नई दिल्ली, दिनांक: 10.01.2011

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें,
उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: जिन रेलवे कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु हुई हो, उनके परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे का भुगतान करना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 05.11.1999 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)99/सीपी-1/1 (आरबीई सं. 285/1999)।

इस कार्यालय के दिनांक 09.02.2000 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)99/सीपी-1/1 में आंशिक आशोधन करते हुए यह स्पष्टीकरण कि 'कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (डब्ल्यूसीए) के अंतर्गत देय मुआवजे को अनुग्रह मुआवजा के रूप में देय एकमुश्त राशि से कम कर दिया जाए, को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है। बहरहाल, कर्मकार मुआवजे के विभिन्न स्रोतों यथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 के अंतर्गत यथा लागू मुआवजा से भुगतान किए जाने वाले राहत/अनुग्रह मुआवजे की कुल राशि बोर्ड के दिनांक 05.11.1999 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)99/सीपी-1/1, जिसे दिनांक 30.09.2008 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2008/सीपी-1/7 द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें 01.01.2006 से मुआवजे की संशोधित दरें अधिसूचित की गई हैं, द्वारा परिपत्रित पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के दिनांक 11.09.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/55/97-पी एंड पी डब्ल्यू (सी) के अनुबंध के पैरा-12 में निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी। **ये आदेश 01.08.1997 से प्रभावी हैं।**

2. पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के दिनांक 11.09.1998 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध के पैरा-12 में उल्लिखित कुल राशि की अधिकतम सीमा में संशोधन की स्वीकृति भी संसूचित की जाती है, जिसे 01.01.2006 से प्रत्येक अलग-अलग मामले में ₹ 10 लाख से संशोधित कर ₹ 20 लाख कर दिया गया है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

ESTT-E(W)

RBE No. 04/2011

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No. E(W) 2007/CP-1/37

New Delhi, dated 10-01-2011

The General Managers
All Zonal Railways,
Production Units, etc.

162-RB
19 JAN 2011

Sub: Payment of Ex.gratia lump-sum compensation to families of Railway employees who die in harness on duty.

Ref: Board's letter No. E(W) 99/CP-1/1 dated 05.11.1999 (RBE No. 285/1999)

In partial modification of this office letter No. E(W) 99/CP-1/1 dated 09.02.2000, the clarification that "the compensation payable under Workmen's Compensation Act (WCA) should be reduced from the lump-sum amount payable as Ex-gratia compensation" is hereby withdrawn. However, the aggregate of the relief/Ex-gratia compensation paid from different sources of workmen compensation, viz. compensation under WCA, compensation under Section 124 of the Railways Act, 1989 as applicable, etc. is subject to the ceiling laid down in para-12 of Annexe to Department of Pension & Pensioners' Welfare's O.M. No. 45/55/97-P&PW(C) dated 11.09.1998 circulated vide Board's letter No. E(W) 99 CP-1/1 dated 05.11.1999 as amended vide letter No. E(W) 2008/CP-1/7 dated 30.09.2008 notifying revised rates of compensation w.e.f. 01.01.2006. **These orders are effective from 01.08.1997.**

2. Sanction is also communicated to revision of the ceiling on aggregate amount mentioned in Para-12 of Annexe to the DOP&PW's O.M. dated 11.09.1998 ibid referred to above from Rs. 10 lakh to Rs. 20 lakh in each individual case **w.e.f. 01.01.2006.**

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge the receipt.

(Debasis Mazumdar)
Joint Director Estt. (Welfare)
Railway Board.

Circulate Pl.
DY. CPO/HRD

Contd...2/-

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

(देबाशीष मज़ूमदार)
संयुक्त निदेशक स्था. (कल्याण)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (डब्ल्यू) 2007/सीपी-1/37 नई दिल्ली, दिनांकः 10.01.2011

प्रतिलिपि प्रेषितः

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (डब्ल्यू) 2007/सीपी-1/37 नई दिल्ली, दिनांकः 10.01.2011
प्रतिलिपि प्रेषितः

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
7. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलयम, सिकंदराबाद (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी-IV कर्मचारी एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
10. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, (इरपोफ से संबद्ध), कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

ESTT-E (W)